फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट- थाना मऊदरवाजा

दिनांक - 14.06.2026

थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 217/2026 धारा 333/352/109 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त घटना में प्रयुक्त 01 अवैध देशी तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 खोखा कारतूस को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री यमुना प्रसाद के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मऊदरवाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 217/2026 धारा 333/352/109 बीएनएस में वांछित अभियुक्त विशाल कश्यप पुत्र विशम्भर निवासी मोहल्ला अस्तबल तराई थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ को घटना में प्रयुक्त 01 अवैध देशी तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 खोखा कारतूस सहित गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

01. विशाल कश्यप पुत्र विशम्भर निवासी मोहल्ला अस्तबल तराई थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।

घटना का विवरण :- दिनांक 12.06.2026 को थाना मऊदरवाजा पर वादी द्वारा सूचना दी गई कि अभियुक्त द्वारा वादी के घर में घुसकर गाली गलौज कर जान से मारने की नीयत से वादी की बहन के पैर में गोली मार दी है । वादी की तहरीर के आधार पर थाना मऊदरवाजा पर मु0अ0सं0 217/2026 धारा 333/352/109 बीएनएस बनाम विशाल उपरोक्त पंजीकृत कर विवेचना के क्रम में अभियुक्त विशाल कश्यप पुत्र विशम्भर निवासी मोहल्ला अस्तबल तराई थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध देशी तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 खोखा कारतूस बरामद कर अभियोग उपरोक्त में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त द्वारा पूछताछ करने पर अपनी सफाई अपने वकील के माध्यम से माननीय न्यायालय मे देना बताया।

बरामदगी का विवरण:-

01. 01 अवैध देशी तमंचा
02. 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर
03. 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद।

अभियुक्त विशाल कश्यप उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

01. मु0अ0सं0 217/2026 धारा 333/352/109 बीएनएस, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली सर्विलांस/थाना मऊदरवाजा पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री अजब सिंह
2. उ0नि0 श्री सन्तकुमार प्रभारी सर्विलांस मय टीम
3. उ0नि0 श्री यतेन्द्र सिंह
4. उ0नि0 श्री अरविन्द यादव
5. उ0नि0 श्री मान सिंह
6. का0 सन्दीप कुमार
7. का0 अंकित कुमार
8. का0 सौरभ कुमार
9. रि0का0 विपुल पाण्डेय
10. रि0का0 पवन

मीडिया सेल फतेहगढ़।

GRP FARRUKHABAD

सुरक्षा आपको संकल्प हमारा

प्रेस नोट - थाना जीआरपी फर्रूखाबाद

दिनांक 14.06.2026

थाना जीआरपी फर्रूखाबाद पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त को छिनैती का सामान लैडीज हैंड बैग, आभूषण के साथ 24 घण्टे के अन्दर किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक रेलवे उ0प्र0 व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक रेलवे प्रयागराज व पुलिस अधीक्षक रेलवे अनुभाग आगरा के नेतृत्व मे चलाये जा रहे चलती ट्रेनो एवं रेलवे स्टेशनों पर चोरी/छिनैती की आपराधिक घटनाओं की रोकथाम अभियान के क्रम मे थाना जीआरपी फर्रूखाबाद द्वारा एक शातिर अभियुक्त आरिफ पुत्र जमील खाँ निवासी भारत नगर थाना नबाबगंज जनपद फतेहगढ़ को छिनैती के सामान सहित गिरफ्तार कर थाना जीआरपी फर्रूखाबाद पर मु0अ0सं0 13/2026 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

01. आरिफ पुत्र जमील खाँ निवासी भारत नगर थाना नबाबगंज जनपद फतेहगढ़

बरामद माल –

1. दो मोबाइल वीवो व टैक्नी स्पार्क कम्पनी ।
2. तीन अँगूठी पीली धातु।
3. एक मंगलसूत्र ।
4. तीन घड़ी हाथ ।
5. चार बिछुआ सफेद धातु ।
6. दो जोड़ी पायल सफेद धातु ।
7. 1400 रुपये नगद ।

अभियुक्त आरिफ उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

01. मु0अ0स0 13/2026 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना जीआरपी फर्रूखाबाद ।
02. मु0अ0स0 08/2026 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना जीआरपी फर्रूखाबाद ।
03. मु0अ0स0 351/2022 धारा 380/457/411 IPC थाना सजैती जनपद कानपुर नगर कमिश्नरेट ।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाले थाना जाआरपी फतेहगढ़ टीम-

1. प्र0नि0 श्री देवेन्द्र सिंह सोलंकी
2. उ0नि0 श्री अजीत कुमार
3. हे0का0 प्रवेन्द्र कुमार
4. का0 धीरज कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़ ।

फतेहगढ़ पुलिस

#ऑपरेशन मुस्कान

कोतवाली फर्रूखाबाद पुलिस द्वारा 02 बच्चों को 02 घण्टे के अन्दर परिवारीजनों को सुपुर्द किया गया।

कोतवाली फर्रूखाबाद

दिनांक 14.06.2026 की रात्रि डॉयल 112 पर सूचना प्राप्त हुई कि 02 बच्चे लावरिस हालत में रेलवे स्टेशन फर्रूखाबाद पर घूम रहे है। प्राप्त सूचना पर कोतवाली फर्रूखाबाद पुलिस द्वारा तत्काल ऑपरेशन मुस्कान के तहत त्वरित कार्यवाही करते हुए दोनो बच्चो को सुरक्षित कोतवाली फर्रूखाबाद लाया गया तथा नाम पता पूछते उनके परिजनों को सूचित किया गया। सूचना पर बच्चो के पिता जितेन्द्र निवासी अताईपुर जदीद कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ व अन्य परिजन कोतवाली फर्रूखाबाद उपस्थित आये तथा 02 घण्टे के अन्दर बच्चो को उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया। परिजनों व आमजनमानस द्वारा फतेहगढ़ पुलिस की तत्परता की भूरि भूरि प्रशंसा की गयी।

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – कोतवाली कायमगंज

दिनांक – 14.06.2026

एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स एवं कोतवाली कायमगंज पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों को 42 किलो 525 ग्राम नाजायज गाँजा सहित किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री यमुना प्रसाक के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स एवं कोतवाली कायमगंज पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तो को 42 किलो 525 ग्राम नाजायज गाँजा सहित गिरफ्तार कर कोतवाली कायमगंज पर मु0अ0सं0 160/2026 धारा 8/20/29 NDPS Act बनाम सतेन्द्र चौधरी उर्फ मुन्ना पुत्र छठठू चौधरी निवासी ग्राम कोडर थाना जी.बी. नगर जिला सिवान, बिहार व मीना पुत्र लोकमन सीसा निवासी ग्राम अम्बापडा थाना बईपुरीगुडा जिला कोरापुट, ओडिशा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

01. सतेन्द्र चौधरी उर्फ मुन्ना पुत्र छठठू चौधरी निवासी ग्राम कोडर थाना जी.बी. नगर जिला सिवान, बिहार।
02. मीना पुत्र लोकमन सीसा निवासी ग्राम अम्बापडा थाना बईपुरीगुडा जिला कोरापुट, ओडिशा।

घटना का संक्षिप्त विवरणः- दिनांक 13.06.2026 को एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स एवं कोतवाली कायमगंज पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर कोतवाली कायमगंज क्षेत्रान्तर्गत 02 अभियुक्तो 42 किलो 525 ग्राम नाजायज गाँजा एवं 1130 /- रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन सहित गिरफ्तार कर वादी उ0नि0 श्री राजेन्द्र सिहं ,तैनाती एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स थाना मेरठ की तहरीर के आधार पर कोतवाली कायमगंज पर मु0अ0सं0 160/2026 धारा 8/20/29 NDPS Act बनाम सतेन्द्र चौधरी उर्फ मुन्ना आदि 03 नफर पंजीकृत कर अभियुक्त सतेन्द्र चौधरी उर्फ मुन्ना पुत्र छठठू चौधरी निवासी ग्राम कोडर थाना जी.बी. नगर जिला सिवान,बिहार व मीना पुत्र लोकमन सीसा निवासी ग्राम अम्बापडा थाना बईपुरीगुडा जिला कोरापुट, ओडिशा को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ करने पर अभियुक्त सतेन्द्र चौधरी उपरोक्त ने बताया गया कि मैं अपने पिताजी से साथ उड़ीसा में पला-बड़ा हूँ तथा उड़ीसा के जंगलो से गांजा लाकर रेल, बस आदि वाहनों में पिठ्ठू बैंग, लगैज बैग तथा सूटकेस में भरकर मीना के साथ सप्लाई करता हूँ। ये गांजा हम केसर जो एटा का रहने वाला है के लिए लाये थे। साहब हमसे गलती हो गयी है। हमे माफ कर दीजिए।

अभियुक्त सतेन्द्र चौधरी उर्फ मुन्ना उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

01. मु0अ0स0 160/2026 धारा 8/20/29 NDPS Act कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़।

अभियुक्त मीना उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

01. मु0अ0स0 160/2026 धारा 8/20/29 NDPS Act कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़।

बरामदगी का विवरणः-

01. 42 किलो 525 ग्राम गाँजा नाजायज
02. 1130 /- रूपये नगद
03. दो मोबाइल फोन
04. एक आधार कार्ड
05. दो बैंक कार्ड

गिरफ्तारी/बरामदी करने वाली ANTF/कोतवाली कायमगंज पुलिस टीम-

01. उ0नि0 श्री राजेन्द्र सिंह
02. उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार
03. हे0का0 पंकज कुमार
04. हे0का0 जावेन्द्र सिंह
05. का0 रोहित
06. का0 प्रवीन यादव
07. का0 कपिल रावत

मीडिया सेल फतेहगढ़।